न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/21/2025	2025/61	01.04.2025	29.07.2025

1. रामकिशन यादव पुत्र बनवारीलाल निवासी ग्राम दुधेड तहसील बहरोड हाल जिला कोटपुतली बहरोड राज0।

---प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती प्रेमलता गुप्ता पत्नी स्व. श्री मदनलाल गुप्ता,
2. आशा गुप्ता पुत्री स्व. श्री मदनलाल गुप्ता,
3. चेतन प्रकाश गुप्ता पुत्र स्व. मदनलाल गुप्ता,
4. विजय गुप्ता पुत्र स्व. श्री मदनलाल गुप्ता,
5. पंकज गुप्ता पुत्र स्व. श्री मदनलाल गुप्ता,
   निवासीयान 53 आर्य नगर, अलवर तहसील व जिला अलवर राज0।
6. श्रीमती विजय गुप्ता पत्नी श्री पदम प्रकाश गुप्ता निवासी जलन्धर कैन्ट पंजाब।
7. सौरभ गुप्ता पुत्र श्री पदम प्रकाश गुप्ता निवासी जलंधर कैन्ट पंजाब।
8. तरूण गुप्ता पुत्र श्री पदम प्रकाश गुप्ता निवासी जलंधर कैन्ट पंजाब।
9. कुश गुप्ता पुत्र श्री पदम प्रकाश गुप्ता निवासी जलंधर कैन्ट पंजाब।
10. सतीश कुमार पुत्र स्व. श्री रामनिवास गुप्ता नि0 53 आर्य नगर, अलवर जिला अलवर राज0।
11. प्रेम चन्द गुप्ता पुत्र स्व.० श्री रामनिवास गुप्ता नि0 53 आर्य नगर, अलवर जिला अलवर।
12. कैलाश चन्द पुत्र स्व० रामनिवास गुप्ता निवासी 53 आर्य नगर, अलवर जिला अलवर।
13. सुनील कुमार पुत्र स्व० श्री रामनिवास गुप्ता निवासी 53 आर्य नगर, अलवर जिला अलवर।
14. श्रीमति कमलेश गुप्ता पुत्री स्व० रामनिवास पत्नी कृष्ण अवतार गुप्ता निवासी पुराना बर्फखाना अलवर जिला अलवर।
15. श्रीमति सुनीता गुप्ता पुत्र स्व. रामनिवास गुप्ता पत्नी हरीश गुप्ता निवासी नारी शिल्प मंदिर मार्ग देहरादून।

—असल अप्रार्थीगण

16. **शैलेन्द्र मीणा पुत्र श्री नन्दलाल मीणा निवासी ग्राम भूगोर तहसील व जिला अलवर।**
17. **आबिद पुत्र आसू जाति मेव निवासी महुवा खुर्द तहसील मालाखेडा जिला अलवर।**
18. **तुसमीन पुत्र आसू निवासी महुआ खुर्द तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०।**
19. **नुसरत पुत्री आसू निवासी महुआ खुर्द तहसील मालाखेडा जिला अलवर।**
20. **पप्पी पुत्री आसू निवासी महुआ खुर्द तहसील मालाखेडा जिला अलवर।**
21. **मिसकूना पुत्री भौडा निवासी महुआ खुर्द तहसील मालाखेडा जिला अलवर।**
22. **रूकमूदीन पुत्र आसू निवासी महुआ खुर्द तहसील मालाखेडा जिला अलवर।**
23. **रस्सी पुत्री भौडा निवासी महुआ खुर्द तहसील मालाखेडा जिला अलवर।**
24. **रहीसन पत्नी स्व० आसू निवासी महुआ खुर्द तहसील मालाखेडा जिला अलवर।**
25. **वाजिदा पुत्री आसू निवासी ग्राम महुआ खुर्द तहसील मालाखेडा जिला अलवर।**
26. **सब्बीर पुत्र आसू निवासी महुआ खुर्द तहसील मालाखेडा जिला अलवर।**
27. **उप पंजीयक मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर।**

—तरतीबी अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितिः—

01—श्री फकरूदीन —वकील प्रार्थी

02—श्री कमल सिंह रावत —वकील अप्रार्थी

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यांयालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा के प्रकरण बउनवान प्रेमलता गुप्ता वगैरह बनाम शैलेन्द्र मीणा वगैरह मु. सं. 515/25 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि असल अप्रार्थीगण द्वारा एक अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 26.02.2025 ग्राम पंचायत महुआ, खुर्द इन्तकाल संख्या 1252 आराजी खसरा नम्बर 300 रकबा 0.24 हेक्टेयर की बाबत विरूद्ध प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण तहत अदालत उपजिलाधीश महोदय, मालाखेडा जिला अलवर बअनुवान प्रेमलता गुप्ता वगेरा शैलेन्द्र मीणा वगेरा मुकदमा संख्या 515/25 प्रस्तुत किया गया है जिसमे आगामी पेशी दिनांक 28.03.2025 नियत है। तहत अदालत के समक्ष 'उक्त अपील दिनांक 18.03.2025 को दर्ज रजिस्टर होकर आगामी पेशी दिनांक 21.4.2025 को वास्ते तलबी अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट मे नियत की गई एवं दिनांक 21.04.2025 के बाद दिनांक 27.03.2025 तारीख पेशी नियत की गई एवं दिनांक 27.03.2025 की तारीख पेशी के बाद दुसरे दिन दिनांक 28.03.2025 की तारीख पेशी नियत की गई है जिससे साफ जाहिर होता है कि तहत अदालत के पीठासीन उक्त अपील मे नजदीक तारीख पेशी नियत की जा रही है एवं दिनांक 27.03.2025 के बाद दुसरे दिन की तारीख पेशी दिनांक 28.03.2025 की ही नियत की गई है।

दिनांक 27.03.2025 की तारीख पेशी पर असल अप्रार्थी तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी के चैम्बर के आस पास घुमते हुये देखा और असल अप्रार्थी ने मिन प्रार्थी रेस्पो० को ऐलानिया धमकी दी कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गई है इसलिये उक्त मुकदमे मे दुसरे दिन दिनांक 28.03.2025 की तारीख पेशी नियत कराई है एवं उक्त अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र का फैसला हम अपने पक्ष में करवा लेगे एवं पीठासीन अधिकारी भी हमारे पक्ष मे ही फैसला करेगे। इस प्रकार मिन प्रार्थी को तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही है अगर तहत अदालत द्वारा उक्त अपील का फैसला बिना प्रार्थी/रेस्पो० व तरतीबी अप्रार्थी की सुनवाई किये किया गया तो प्रार्थी को नापूति होने वाला नुकसान होगा जिसकी पूर्ति द्रव्य मे नहीं हो सकेगी इसलिये मिन अपीलाण्ट को तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद शेष नही रही है इसलिये उक्त अपील को दीगर अदालत मे वास्ते सुनवाई हेतु मुन्तकिल किया जाना न्यायहित मे न्यायोचित है इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है।

अप्रार्थीगण वकील 01 लगायत 15 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र महज प्रकरण में अनावश्क देरी करने व लम्बित रखने की मंशा से पेश किया गया हैं। न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही की जा रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.03.2025 को शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र लगाया गया। जिसमें आगामी तारीख पेशी 27.03.2025 तलबी गौर के बाद आगामी तारीख पेशी 28.03.2025 नियत की गई। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप मनगढन्त एवं निराधार हैं। प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

तरतीबी अप्रार्थीगण वकील अनुपस्थित, जवाब/वकालतनामा पेश करने में असफल रहें।

अतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहत अदालत उपजिलाधीश मालाखेडा जिला अलवर बअनुवान मुकदमा प्रेमलता गुप्ता वगैरा बनाम शैलेन्द्र मीणा वगैरा मुकदमा संख्या 515/25 आगामी पेशी दिनांक

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

28.03.2025 को वास्ते सुनवाई हेतु दीगर अदालत मे मुन्तकिल किये जाने के आदेश दिये जाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि अपीलान्ट द्वाराः इस न्यायालय में एक इंतकाल अपील बउनवान प्रेमलता बनाम शैलेन्द्र. मीणा वगै० प्रकरण संख्या 5/5/2025 दिनांक 18.03.2025 को प्रस्तुत की गई जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.04.2025 रेस्पोडेन्टान की तलबी हेतु नियत की गई है। दिनांक 24.03. 2025 को अपीलान्ट संख्या 13 द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में शीघ्र सुनवाई करने हेतु निवेदन किया जिस पर सुनवाई की जाकर अपील पत्रावली में तारीखं पेशी दिनांक 21.04.2025 के स्थान पर दिनांके 27.03.2025 नियत की गई जिसके बाद अपील में गौर तलबी हेतु दिनांक 28.03.2025 नियत की गई। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप निराधार व मनगढंत है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर नजदीक की तारीख पेशी नियत की गई। प्रार्थी द्वारा मौजूदा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बेबुनियाद, झूठे एवं मनगढंत तथ्यो के आधार पर महज प्रकरण को अनावश्यक़ देरी करने की नियत से पेश किया है। फिर भी श्रीमान उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से दीगर न्यायालय में मुन्तकिल के आदेश फरमावे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान
जिला कलक्टर अलवर (राज०)